राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप–2)विभाग

कमाकःप034(5)चिस्वा/2/13 जयपुर,दिनांकः 22/9/14

निदेशक(जन स्वा)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0जयपुर।

विषयः– अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने वाले चिकित्सकों को विभागीय जांच बकाया नहीं का प्रमाण पत्र जारी करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि वित्तीय वर्ष 2014–15 में अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने वाले निम्नलिखित चिकित्सकों कार्मिक विभाग की रिपोर्ट के आधार पर इनके विरूद्व वर्तमान में कोई विभागीय जांच/एफआईआर विचाराधीन एवं लम्बित नहीं है।

क्रं. सं.	राजपत्रित अधिकारी का नाम	पदनाम	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	2	5	5	6
1	डा0 कालूराम शर्मा	चि.अ.	07-07-54	31-07-14
2	डा0 मोहन सिंह राठौड	क.वि.(सर्जरी)	03-02-55	28-02-15
3	डा0 मनोहर लाल नागर	व.चि.अ.	18-03-55	31-03-15
4	डा0 कुँजबिहारी छीपा	क.वि.(सर्जरी)	04-03-55	31-03-15

राज्यपाल की आज्ञा से,

-SD-

(महावीर सिंह)
शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–
1. विशिष्ठ सहायक, मा0 चिकित्सा मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय।
3. समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0 जयपुर। निदेशक (जन स्वा0) को प्रेषित कर लेख है कि कृपया संबंधित चिकित्सकों को प्रति भेजकर सूचित करने का श्रम करें।
4. निदेशक, पेशन एवं पेशन वेलफेयर विभाग, राज0, जयपुर।
5. समस्त संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग।
6. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन।
7. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
8. समस्त प्रमुख चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
9. प्रभारी, कम्प्युटर सर्वर रूम को वेबसाईट हेतु।
10 कम्प्युटर सैल/रक्षित पत्रावली।

(ए0 एच0 अंसारी)
शासन सहायक सचिव